न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित–रजत सिंह जैन, एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–5502/2022

मनोज कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र स्व0 श्री दौलत राम (एफ0आई0आर0 में वादिया द्वारा कथित मनोज पुत्र बिशन सिंह) निवासी 228 गंगानगर, बाबूलाल का मंदिर साकेत मेरठ।

.....आवेदक

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

दिनांक–23.08.2022

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री पदम सिंह एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंघल को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष के कथानुसार वादिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ० धारा 156 (3) सीआरपीसी अवर न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी के ससुर दौलतराम थे और उनकी पत्नी राजरानी थी। दौलतराम डी०एन०डिग्री कलिज में चपरासी के पद पर कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक 14.04.2002 को हो गयी थी। दौलतराम के 5 संतान थी जिनमें दो पुत्र 1. योगेश (प्रार्थिनी के पति) व 2. ज्ञानचन्द उर्फ डल्लू (प्रार्थिनी के देवर) प्रार्थिनी के पति की मृत्यु सन् 2012 में व देवर की मृत्यु सन् 2000 में हो चुकी है। दौलतराम की तीन पुत्रियां हैं। जो सभी विवाहित हैं। 1. पूनम पत्नी संतोष निवासी–490/3 न्यू गोविन्दपुरी कंकरखेड़ा मेरठ। 2. भावना पत्नी अनिल निवासी–228 गंगानगर साकेत, मेरठ थाना सिविल लाईन, मेरठ। 3. डोली पत्नी उमेश कुमार निवासी 314, पाण्डव नगर जेलचुंगी मेरठ हैं। इनके अलावा दौलतराम की कोई और संतान नहीं हुई है। 2. यह कि दौलतराम की नौकरी के समय उनके साथ डी0एन0 डिग्री कलिज में बिशन सिंह निवासी ग्राम चौखटिया गिवार, जिला अल्मोडा (उत्तराखण्ड) जो जाति से शिल्पकार थे, चपरासी के पद पर कार्यरत थे। बिशन सिंह की दौरान नौकरी मृत्यु हो गयी थी इसलिए बिशन सिंह के स्थान पर उनकी पत्नी चम्पा देवी को नौकरी मिली थी। बिशन सिंह व चम्पा

देवी का एक लडका मनोज है। 3. यह कि श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बाबूलाल जो जाति से कुर्मी थे और मकान नं0–349, गंगा नगर साकेत मेरठ के निवासी थे। इनके कोई संतान नहीं थी। बाबूलाल की मृत्यु के पश्चात श्रीमती कलावती बाबूलाल की चल–अचल सम्पत्ति की मालिक हो गयी। इसलिए श्रीमती कलावती ने अपनी स्वेच्छा से अपनी एक रजिस्टर्ड वसीयत बाबत् अपने गृह संख्या–312 ता 314 जो गंगानगर साकेत मेरठ में स्थित है। दिनांक 21.08.1976 को प्रार्थिनी की सास श्रीमती राजरानी पत्नी स्व दौलतराम के नाम लिख दी थी और रजिस्टर्ड करा दी थी। कलावती अपने जीवनकाल में ही राजरानी के दोनों लड़को योगेश व ज्ञानचन्द उर्फ डल्लू को बहुत प्यार करती थी इसलिए कलावती ने अपनी इस रजिस्टर्ड वसीयत नामे में अपने मकान को केवल राजरानी के लड़को के नाम ही करने के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है क्योंकि वह लड़कियों को अपनी सम्पत्ति नहीं देना चाहती थी। इसलिए कलावती ने अपनी इस रजिस्टर्ड वसीयत के पैरा नं0 3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे गृह निम्नलिखित की हीन–हयाती स्वामिनी व अधिकारिणी श्रीमती राजरानी पत्नी स्व0 दौलतराम जाति कश्यप निवासी मौहल्ला गंगानगर साकेत गृह संख्या 312 ता 314. मेरठ नगर होगी और उसको अपने जीवनकाल में किसी भी तरह परहस्तान्तरण या ऋण बन्धक आदि करने का अधिकार प्राप्त न होगा और श्रीमती राजरानी की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त पुत्रगण बराबर–बराबर भाग के पूर्ण रूप से समस्त अधिकारों के साथ स्वामी हो जायेंगे और उनको सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण व ऋणबंध प्राप्त रहेंगे वसीयत के पैरा नं0–5 में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह कि मेरी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त मनोनीत व्यक्तियों को अपना नाम नगर पालिका पत्रों में गृह निम्न पर अपना नाम अंकित करा लेने का अधिकार रहेगा वसीयत के पैरा नं 06 में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त मनोनीत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या सगे सम्बन्धी व कुटुम्बी को कोई अंश मेरे निम्नलिखित गृह से नहीं मिलेगा और हर व्यक्ति का वाद–विवाद इस इच्छा पत्र के सम्मुख बिल्कुल निष्फल व निष्प्रभावी माना जायेगा और उस वाद–विवाद का कोई प्रभाव श्रीमती राजरानी व उसके पुत्रगणों के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा 4. यह कि कलावती की इस वसीयत के बारे में श्रीमती राजरानी व उसकी तीनों पुत्रियों भावना, पूनम, व डोली और उनके पति भी पूरी तरह से परिचित थे और राजरानी और ये सभी यह भी जानते थे कि राजरानी के दोनों पुत्र योगेश व ज्ञानचन्द उर्फ डल्लू

और योगेश की मृत्यु के उपरान्त केवल योगेश के दोनों पुत्र विवेक उर्फ विक्की व ऋषभ हकदार व मालिक हैं। राजरानी की पुत्रिया नहीं। 5. यह कि राजरानी को 2020 के गणपति विसर्जन पर कमर में चोट लग गयी थी। इससे उनके कमर की हड्डी गल गयी थी और उनको डाक्टर को दिखाने के लिए भी गोद में उठाकर ले जाना पड़ता था और उनको अपनी बैंक से पेंशन निकलाने के लिए भी बैंक के अधिकारी भी बैंक के बाहर आकर हस्ताक्षर कराता था। प्रार्थिनी की सास राजरानी की मृत्यु बीमार रहने के कारण दिनांक 02.10.2021 को हो गयी थी। राजरानी की मृत्यु के बाद कलावती की वसीयत के अनुसार प्रार्थिनी के केवल दोनों लडके विवेक उर्फ विक्की व ऋषभ कानून अनुसार मालिक है। 6. यह कि मनोज पुत्र बिशन सिंह , जो अब अनिल के साथ ही रहता है अनिल पुत्र शिवचरण दास (भावना का पति) आपस में मित्र हैं। कुछ समय पहले से मनोज, अनिल, भावना, पूनम व डोली राजरानी की बीमारी को देखकर आपस में कहते थे कि राजरानी अब ज्यादा जिन्दा नहीं रहेगी और राजरानी से कई बार यह कहा कि इस मकान की वसीयत तुम हमारे नाम कर दो तो राजरानी कहती थी कि मैं तो कलावती की वसीयत के अनुसार मेरा यह मकान तो मेरे पुत्रों का था परन्तु अब मेरे दोनों पुत्रों के मरने के बाद मेरे दोनों पौत्रों विवेक उर्फ विक्की व ऋषभ का है और उन्हीं को मिलेगा मैं किसी और को नहीं दे सकती और ना दूंगी। इस पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र कहते थे कि दादी ठीक कहती है। यह घटना राजरानी के साथ कई बार हुई। इस पर ये सब चुप रह जाते थे। 7. यह कि दिनांक 29.04.2022 करीब 12रू30 बजे दोपहर का समय होगा। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का लडका विवेक उर्फ विक्की अपने घर उपरोक्त मकान में लैट्रीन, बाथरूम की मरम्मत/निर्माण करा रहे थे तो अनिल, अनिल की पत्नी भावना और मनोज ने प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के बेटे विवेक उर्फ विक्की से कहा कि आप इस मकान में कोई निर्माण/मरम्मत नहीं करा सकते क्योंकि राजरानी ने मरने से पहले हमें वसीयत कर दी थी और गाली–गलौच करने लगे और फोन करके पूनम व डोली को भी बुला लिया और प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के बेटे के साथ सबने मिलकर हाथापाई व मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। शोर मचने पर मौहल्ले के नवीन और कई लोग आ गये थे तब प्रार्थिनी को अनिल ने राजरानी की एक वसीयत दिनांक 27.08.2021 की फोटो कपी दिखाई। प्रार्थिनी के लडके विवेक उर्फ विक्की ने वसीयत पर लिखी दिनांक 27.08.2021 की तारीख व वसीयत पर लगे अगूठे को देखकर कहा कि दिनांक 27.08.2021 को

दादी बीमार थी ओर बोलने की अवस्था में भी नहीं थी तो उन्होंने वसीयत कैसे कर दी। ये वसीयत फर्जी मिथ्या दस्तावेज है और कहा कि दादी तो अपने हस्ताक्षर करके ही बैंक से अपनी पेंशन निकालती थी। अंगूठा नहीं लगाती थी। यह वसीयत दिनांक 27.08.2021 को हुई है जबकि सितम्बर 2021 में मैने दादी की पैंशन दादी के हस्ताक्षर कराकर निकलवायी है दादी अंगूठा नहीं लगाती थी। इस पर तो अंगूठे ही लगे हैं। 8. यह कि वसीयत के बारे में जानकारी की तो पता चला कि दिनांक 27.08.2021 को जब प्रार्थिनी अपनी डयूटी पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गयी हुई थी तो उसके पीछे सुबह करीब 10.30 बजे दीपक व उसकी भाभी रेनू राजरानी से मिलने आये थे तो वह बात नहीं कर पा रही थी तो अनिल की सगी बहन मधु व अनिल की पत्नी भावना कह रहे थे कि इनको अभी थोड़ी देर में डाक्टर को दिखाने ले जायेंगे। इसके बाद वसीयत के बारे में और जानकारी की तो प्रार्थिनी को मिथुन पुत्र किशन लाल ने बताया कि दिनांक 27.08.2021 को मैं रजिस्ट्री कार्यालय में गया हुआ था तो दोपहर करीब 11.30 बजे का समय होगा तो विवेक उर्फ विक्की की दादी राजरानी को विक्की के फूफा अनिल ने गोद में उठा रखा था। मैने उनसे बात करने की कोशिश की तो वह बोल नहीं पा रही थी। उस समय उनके साथ अनिल, भावना, पूनम, डोली और मनोज साथ थे। 9. यह कि क्योकि भावना, पूनम, डोली व मनोज को कलावती की वसीयत के अनुसार उपरोक्त मकान में कोई हिस्सा नहीं मिलता था इसलिए अनिल, भावना, पूनम, डोली व मनोज ने आपस में आपराधिक षड्यन्त्र रचकर राजरानी को बहका–फुसलाकर छल–कपट करके उसकी बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर बाला–बाला उसकी सहमति के विपरीत पहले मिथ्या दस्तावेज कुटरचना करके तैयार कराये रचे और पहले से टाईप हुई वसीयत पर दिनांक 27.08.2021 को राजरानी के अंगूठे यह जानते हुए लगवाये कि जो वसीयत में लिखा है उसकी इच्छा के विपरीत है, परन्तु उनकों इस मिथ्या, कूटरचित दस्तावेज (वसीयत) से हक मिल सकता है और वादिनी के दोनों पुत्रों को हानि पहुंचेगी। 10. यह कि अनिल, मनोज, भावना, पूनम, डोली का अपराधिक षड़यन्त्र के तहत राजरानी की दिनांक 27.08.2021 की मिथ्या दस्तावेज (वसीयत) जो कूटरचना करके बनायी/टाईप करायी थी उसमे अनिल ने अपनी सगी बहन मधु पत्नी बसन्तराम निवासी 42, नोगजा रोड़ खन्दक मेरठ व अपने मालिक/ठेकेदार बालकिशन गोयल पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गोयल निवासी 70, छीपीवाड़ा बुढानागेट मेरठ को वसीयत के साजिश के तहत गवाह बनाकर

उनके हस्ताक्षर यह जानते हुए कराये कि यह वसीयत छल–कपट करके कूटरचना करके बनायी गयी है और राजरानी की इस वसीयत करने में कोई सहमति नहीं है और इस मिथ्या दस्तावेज (वसीयत) को जो कि एक मूल्यवान प्रतिभूति (दस्तावेज) है। रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड कानून के ये विरूद्ध कराया। मधु और बालकिशन ने यह सब जानते हुए भी अपने हस्ताक्षर किये कि ये कूटरचित है और प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्रों को हानि पहुचाई है। 11. यह कि अनिल, भावना, पूनम, डोली, मनोज ने छल के परियोजन से मिथ्या दस्तावेज (वसीयत) दिनांक 27.08.2021 की कूटरचना करके बनायी और छल से इसका उपयोग यह जानते हुए किया कि यह कूटरचित है और प्रार्थिनी को हानि पहुंचायी है। 12. यह कि भावना, पूनम, डोली और मनोज व इनके अन्य उपरोक्त कथित व्यक्तियों ने आपस में अपराधिक षडयन्त्र करके उपरोक्त कथित मिथ्या दस्तावेज (वसीयत) की यह जानते हुए रचना की है कि ये कूटरचित है और राजरानी को छल–कपट कर बहका–फुसलाकर, धोखा देकर उसके अंगूठे लगवाये हैं। वसीयत पर अंगूठा लगा है परन्तु वे प्रत्येक स्थान पर हस्ताक्षर करती थी जिससे स्पष्ट है कि वसीयत फर्जी तरीके से बनायी गयी है। इन्होने ये सब प्रार्थिनी के पुत्रगणों की सम्पत्ति हड़पने के लिए ये सब कृत्य किया है। 13. यह कि प्रार्थिनी की घटना के गवाह स्वयं प्रार्थिनी, विवेक उर्फ विक्की ऋषभ पुत्र स्व० योगेश कुमार, दीपक पुत्र धर्मवीर निवासी कसेरू बक्सर गंगानगर। मिथुन, रेनू व नवीन मेरठ आदि हैं जिन्होंने यह घटना देखी है। प्रार्थिनी राजरानी की उपरोक्त कथित कूटरचित वसीयत दिनांक 27.08.2021 की जानकारी व सम्बन्धित दस्तावेजों की कपी एकत्रित करने के बाद और दिनांक 30.04.2022 को कूटरचित वसीयत की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद प्रार्थिनी दिनांक 02.05.2022 को थाना सिविल लाईन पर रिपोर्ट लिखाने गयी थी, पुलिस ने रिपोर्ट लेकर रख ली थी, लिखी नहीं थी। उसके बाद रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी थी। इसके बाद प्रार्थिनी ने मजबूर होकर दिनांक 04.05.2022 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरठ को रजिस्ट्री द्वारा भेजा था परन्तु उस पर प्रार्थिनी की रिपोर्ट थाना सिविल मेरठ पर दर्ज कराकर तफ्तीश करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी की गयी है और न ही किसी

दस्तावेज की कूटरचना की गयी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। संबंधित थाने की पुलिस उसे पकड़ने पर आमादा है। अभियुक्त उचित जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रदान किया जाने की प्रार्थना की गयी।

4— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5— केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस मामले में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 27.08.2021 को राजरानी को बिना बताये उनके अंगूठे लगाकर वसीयत करवा ली गयी, जबकि राजरानी को केवल अपने जीवनकाल में ही सम्पत्ति का उपयोग करने का अधिकार था, उसको अंतरित करने का अधिकार नहीं था। वसीयत राजरानी ने स्वेच्छा से की है अथवा उसको बहला फुसलाकर की गयी है, यह सिविल न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना है और यदि उनके जीवनकाल के लिए सम्पत्ति में हित दिया गया था तो वैसे भी यह वसीयत स्वयं निष्प्रभावी हो जाती है और राजरानी को जो सम्पत्ति वसीयत से प्राप्त हुई थी, यदि उसमें स्वयं भी यह उल्लेख था कि राजरानी जीवन काल में उपयोग करने के उपरान्त राजरानी के पुत्रों को यह सम्पत्ति मिलेगी तो वसीयत करने का प्रभाव राजरानी के पुत्रों के अधिकारों पर नहीं पड़ता। यह मामला प्रथमदृष्टया सिविल प्रकृति का मामला प्रतीत होता है। इस मामले के अन्य सह–अभियुक्तगण की जमानतें सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं।

7— अतः उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार उपलब्ध है। इस जमानत आदेश में की गयी टिप्पणी का कोई प्रभाव विचारण के गुणदोष पर नहीं होगा।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मनोज कुमार का मुकदमा अपराध सं0–195/2022, धारा–420,467,468,471 भा0द0सं0, थाना–सिविल लाईन, जिला–मेरठ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–5502/2022 स्वीकार किया जाता है।

आवेदक को ₹ 50,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू पत्र सम्बन्धित न्यायालय/विवेचक की सन्तुष्टि में दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे।

1— आवेदक बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

2— आवेदक विचारण के प्रारम्भ की अवस्था, आरोप विरचित होने की दिनांक एवं धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षण की दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

3— आवेदक वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देंगे कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न कर सके।

4— आवेदक साक्ष्य को नष्ट नही करेगा।

5— जो अभियोग आवेदक पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध आवेदक नहीं करेगा।

दिनांकः 23—08—2022

(रजत सिंह जैन)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।